न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **गितेश श्री मालवीय,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 36/2022 (रा.प्रा.पत्र)
पंजीयन दिनांक 09.02.2022
G.C.M.S. NO. :- 2022/36

रणवीर सिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी पराना, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

1–रामलाल पिता हीरालाल खटीक, जाति खटीक, उम्र वयस्क, निवासी करसाना, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–सुगना बाई पत्नि रामलाल खटीक, जाति खटीक, उम्र वयस्क, निवासी करसाना, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3–सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार डूंगला, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू आवंटन नियम, 1970 विरूद्ध आवंटन आदेश उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी के प्रकरण संख्या 1004/2002 आवंटन दिनांक 15.01.2002

उपस्थितिः–1– श्री मोहम्मद रईस, अधिवक्ता प्रार्थी
2– श्री भैरूलाल सालवी, अधिवक्ता वि. सं. 1 व 2

प्र. सं. 36/2022 (रा.प्रा.पत्र)
रणवीर सिंह पिता रामसिंह राजपूत निवासी पराना, तहसील डूंगला बनाम रामलाल पिता हीरालाल खटीक निवासी करसाना, तहसील डूंगला वगैरा

निर्णय

दिनांक 27.01.2023

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू आवंटन नियम, 1970 के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ भू आवंटन कमेटी द्वारा विपक्षी संख्या 1 व 2 को राजस्व ग्राम पराना की आराजी नम्बर 338/8 रकबा 2 बीघा असिचिंत भूमि पटवारी हल्का करसाना की गलत रिपोर्ट के आधार पर बिना किसी जांच पड़ताल के दिनांक 15.01.2002 को आवंटित कर दिया। उक्त आवंटित भूमि पर विपक्षी संख्या 1 व 2 का कभी भी कब्जा-काश्त नहीं रहा है बल्कि उक्त भूमि पर कब्जा प्रार्थी का होकर पिछले 30 वर्षो से उक्त आराजीयात का उपयोग-उपभोग करता चला आ रहा है। विपक्षी संख्या 1 व 2 को अलोटशुदा भूमि का नक्शा भी गलत तरमीम किया हुआ है। विपक्षीगण ने आवंटन शर्तो के अनुसार कोई पालना नहीं की है जिससे विपक्षी संख्या 1 व 2 को जो आवंटन किया है वह विधि-विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 को किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री भैरूलाल सालवी ने अधिकार पत्र एवं लिखित बहस पेश की। विपक्षी संख्या 3 भूमिधारी तहसीलदार है। संबंधित भू आवंटन पत्रावली तलब की गई। पत्रावली प्राप्त होने एवं उभय पक्ष के बहस हेतु सहमत होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ भू आवंटन कमेटी द्वारा पटवार हल्का करसाना की गलत रिपोर्ट के आधार पर राजस्व ग्राम पराना की आराजी नम्बर 338/8 रकबा 2 बीघा भूमि का विपक्षी संख्या 1 व 2 को बिना किसी जांच पडताल के गलत तरीके से आवंटन कर दिया जो विधि-विरूद्ध है। आवंटित आराजीयात पर विपक्षीगण का कभी भी कब्जा-काश्त नहीं रहा है तथा आवंटनशुदा भूमि का नक्शा भी गलत तरमीम किया हुआ है जो भौतिक स्थिति से मेल नहीं खाता है तथा

विपक्षीगण को अपनी आवंटित आराजीयात की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है फिर भी भूमिधारी द्वारा गलत तरीके से बिना कब्जा–काश्त के विपक्षीगण को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकारी प्रदान कर दिये गये जो पूर्णतया अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। विवादित आराजीयात पर विपक्षीगण का कभी भी कब्जा नहीं होकर पिछले 30 वर्षों से उक्त आराजीयात प्रार्थी के कब्जे में होकर प्रार्थी उसका उपयोग–उपभोग कर रहा है एवं गलत नक्शे की आड में विपक्षीगण प्रार्थी को मौके से बेदखल करने पर आमदा है। विपक्षीगण द्वारा उक्त आराजीयात उन्हें आवंटन होने के बाद से आज तक न तो कभी काश्त की है तथा न ही कभी हंकाई–जुताई की है। अतः विपक्षीगण को किया गया आवंटन पूर्णतया अनुचित एवं विधि–विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 को राजस्व ग्राम पराना की आराजी नम्बर 338/8 रकबा 2 बीघा का किया गया आवंटन निरस्त करने का आदेश फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2 का मुख्य कथन यह रहा कि विपक्षी संख्या 1 व 2 को भूआवंटन पूर्णतया विधि अनुसार सम्पूर्ण जांच के बाद हुआ है। ग्राम पराना की भूमि जिसको विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की पात्रता रखने के कारण आवंटन किया गया तथा दिनांक 15.01.2002 को ही उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी के आदेश की पालना में विपक्षी/आवंटी रामलाल पिता हीरालाल को आराजी नम्बर 338/8 रकबा 2 बीघा भूमि का कब्जा सिपुर्द किया गया तब से विपक्षी संख्या 1 व 2 आवंटनशुदा भूमि पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते आ रहे हैं। विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटितशुदा भूमि पर करीब 14 वर्ष पूर्व खातेदारी अधिकारी भी प्राप्त हो चुके हैं तथा वर्ष 2004 से विपक्षी संख्या 1 व 2 उक्त भूमि पर सहकारी समिति डूंगला से अल्पकालिन ऋण लेता रहा है एवं वर्ष 2009 में उक्त भूमि के सुधार हेतु 50,000/– रूपये का ऋण लेकर जिप्सम डालकर एवं भूमि समतलीकरण कर धीरे–धीरे उक्त भूमि को उपजाऊ बनाते रहे हैं। प्रार्थी राजनैतिक पहुंच रखता है और आर्थिक रूप से सम्पन्न व्यक्ति है जिसके नाम नया खाता संख्या 199 में मौरूसी आराजी नम्बर 38 ,39, 40, 41 ,81 एवं 82 में कुल रकबा 3.02 हैक्टेयर भूमि ग्राम पराना में

अंकित है अतः प्रार्थी भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आता है। हम विपक्षीगण जो कि अनुसूचित जाति के होकर निर्धन हैं तथा हमारी भूमि को प्रार्थी अवैधानिक रूप से हडप करना चाहता है। जिससे प्रार्थी ने हम विपक्षीगण की आवंटनशुदा भूमि पर उसे हडपने की नियत से रेत व पत्थर के ट्रीप डालकर कब्जा करना चाहा जिसकी सूचना भूमिधारी तहसीलदार डूंगला को विपक्षीगण द्वारा दिनांक 12.01.2022 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अतिक्रमण हटवाने हेतु दी जिसकी बाद जांच दिनांक 12.01.2022 को ही अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश तहसीलदार, डूंगला द्वारा दिया लेकिन प्रार्थी ने उक्त आदेश से बचने के लिए ही यह निगरानी पेश की है जो निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में मौजा पराना तहसील, डूंगला की आराजी नम्बर 338/8 रकबा 2 बीघा भूमि विपक्षी संख्या 1 व 2 को भू आंवटन कमेटी बडीसादडी द्वारा आवंटित की गई है जिसका आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रथम तो अतिक्रमी के कब्जे की भूमि को ओक्यूपाईड़ भूमि नहीं माना जा सकता है। द्वितीय प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी के आवंटन बाबत कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया, यदि उक्त भूमि पिछले 30 वर्षों से प्रार्थी के कब्जे में थी और प्रार्थी भू आवंटन का पात्र था तो उसे आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहिये था। आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये बिना उसे भूमि आवंटन करने बाबत भू आवंटन सलाहकार समिति विचार नहीं कर सकती। विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा ग्राम पराना तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 338/8 में से भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं बाद जांच भूआवंटन सलाहकार समिति की राय पर उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी ने उक्त भूमि आराजी नम्बर 338/8 रकबा 2 बीघा भूमि विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित की एवं आवंटित भूमि का उन्हें कब्जा सिपुर्द किया गया।

यदि आवंटित भूमि पर प्रार्थी का आवंटन से पूर्व ही कब्जा-काश्त था तो उसे भी नियमानुसार उक्त भूमि के आवंटन हेतु आवेदन कर भूमि आंवटन/नियमन करानी चाहिए थी जो कि प्रार्थी के द्वारा नहीं करवाई गई तथा न ही उक्त भूमि आवंटन करने हेतु विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा आवेदन पेश करने पर आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति पेश की। साथ ही प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है

जिससे उक्त विवादित आवंटित आराजीयात पर प्रार्थी के कब्जे-काश्त संबंधी कथन की पुष्टि होती हो तथा न ही ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किया है जिससे आवंटन की प्रक्रिया में कोई गलती करने संबंधी कथन की पुष्टि होती हो। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित अन्य तथ्यों को भी प्रमाणित नहीं कराया है। प्रार्थी द्वारा मात्र प्रार्थना पत्र में आवंटन से पूर्व का उसका कब्जा-काश्त होने संबंधित कथन कर देने या तथ्य वर्णित कर देने के आधार पर लगभग 20 वर्ष पुराना आवंटन निरस्त किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना करने से ही आराजी नम्बर 338/8 रकबा 2.00 बीघा भूमि विपक्षी संख्या 1 के खातेदारी में दर्ज हो चुकी है तथा आवंटी को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं। विपक्षी संख्या 1 व 2 उसे आवंटनशुदा भूमि के खातेदार है, और खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात् आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(गितेश श्री मालवीय)